

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-266/2018

1. मोहनसिंह पुत्र अनोखसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
-वादी

बनाम

1. अनोखसिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
2. गुरमेलकौर पत्नी अनोखसिंह  
3. तेजासिंह पुत्र अनोखसिंह } जाति रामगढ़िया निवासी चक 12 एसएलडब्ल्यू  
4. गुरनामसिंह पुत्र अनोखसिंह } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।  
5. वीरपालकौर पुत्री अनोखसिंह पत्नी आत्मासिंह जाति तरखान निवासी ढाणी बावरीया वाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।  
6. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।  
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री जगदीश प्रसाद शर्मा वकील वादी मिन जांमिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी मोहनसिंह को चक नं० 12 एसएलडब्ल्यू के खाता सं० 3 के प०न० 195/311 मु० 9 किला नं० 9/.139 है० (नहरी 0.133 है० व खाला .006 है०), 10/.253 है० (नहरी .246 है०, खाला .007 है०) चक नं० 11 एसएलडब्ल्यू के खाता सं० 35 के प०न० 196/306 मु० 13 किला नं० 18 से 21/1.012 है० कुल 1.404 है० तथा प्रतिवादी सं० 3 तेजासिंह को चक नं० 12 एसएलडब्ल्यू के खाता सं० 3 प०न० 195/311 मु० 9 किला नं० 6/.253 है० (नहरी .215, रास्ता .038 है०), 7/.253 है० (नहरी.240 है०, रास्ता .013 है०), 8/.253 है० (नहरी .240 है०, रास्ता .013 है०), 9/.114 है० (नहरी .101, रास्ता .006, खाला .007 है०) 11 से 12/506, 13/.126, कुल 1.505 है० व प्रतिवादी सं० 4 गुरनामसिंह को चक नं० 12 एसएलडब्ल्यू के खाता सं० 4 के प०न० 195/311 मु० 9 किला नं० 3/.253, 4/2/190 है०, चकनं० 12 एसएलडब्ल्यू के खाता सं० 3 के प०न० 195/311 मु० 9 किला नं० 4/1/.063, 5/.253 है० (नहरी .228, रास्ता .025) व चक नं० 12 एसएलडब्ल्यू के खाता सं० 15 की 0.632 है० कुल 1.391 है० का तथा इसके अलावा चक नं० 3 केएनजे के खाता सं० 58/65 में अंकित कुल भूमि 2.530 है० प्रतिवादी सं० 1 के नाम अंकित हिस्सा 0.987 हिस्सा में वादी एवं प्रतिवादी सं० 3 से 4 को ब०हि०ब० का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 12 एसएलडब्ल्यू के खाता सं० 3 तथा 4 में तथा खाता सं० 15 में व हनुमानगढ़ तहसील के चक 3 केएनजे के खाता सं० 58/65 तथा गुरदेवकौर आदि में प्रतिवादी सं० 1 का नाम कलमजन व चक 11 एसएलडब्ल्यू के खाता सं० 35 में प्रतिवादी सं० 3 से 4 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दशमद किया जावे। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा वहन करेंगे।



निज.....निल.....मुद्लिक.....निल.....बावत.....निल.....खर्चा मुकदमें के  
मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
अदा करें।  
बसब्त भरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....को जारी  
किया गया।

( उम्मेद सिंह रतनू )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी